न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 51/2018 राजस्व अपील

1. बाबू पुत्र लल्लू माली जाति माली निवासी कारोली तहसील सिकराय उप तहसील बहरावण्डा जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए नायब तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 29.09.2014 अधिनस्थ नायब तहसीलदार बहरावण्डा उनवानी प्रकरण सरकार बनाम बाबू मु.न. 144/2014

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री विश्राम गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :- दिनांक: 09.05.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का मोहचिंगपुरा द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डा को इस आश की पेश की कि ग्राम कारोली के आराजी भूमि खसरा नम्बर 70/1/2 रकबा 05 बिस्वा सिवायचक भूमि पर संवत 2071 मे मकान, बाडा का निर्माण कर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डा ने अपीलान्ट के विरूद्व दिनांक 29.09.2014 को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 29.09.2014 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 29.09.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये व बिना पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना व बिना कोई अन्य कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिए पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। खसरा नं. 70/1/2 रकबा 05 बिस्वा भूमि सिवायचक के पास अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है और अपीलान्ट अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि पर ही पाटोल बाडा पुख्ता निर्माण इसी भूमि में बना रखा है। अपीलान्ट का किसी सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण नही है। इस बाबत सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक से मौका जांच करवाई जा सकती है। अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम कारोली तहसील सिकराय में स्थित सिवायचक भूमि खसरा नंबर 70/1/2 रकबा 05 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण करने पर अपीलाण्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 29.09.2014 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया की प्रश्नगत सिवायचक भूमि से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। साथ ही भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका जांच करने व शपथ पत्र पेश कर दिये जाने का निवेदन किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण नायब तहसीलदार बहरावण्डा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा प्रकरण में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 29.09.2014 को निरस्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार बहरावण्डा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका जांच करवाई जावे तथा अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुऐ एवं शपथ पत्र का सत्यापन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official